"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2011—भाद्र 25, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्रमांक ई-01-12/2010/एक/2.—श्री सुनिल कुमार, भा.प्र.से. (1979), को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुये अस्थायी रूप से अगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री सुनिल कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से. (1977), अपर मुख्य सचिव, वन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

3. श्री सुनिल कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. राउत, भा.प्र.से. (1984), प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल केवल प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रभार से मुक्त होंगे.

4. श्री सुनिल कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-2007 के नियम-9 (1) के तहत अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रोन्नति एवं जिम्मेदारी में, ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II-ए में सम्मिलित भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4-4/2011/23.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 6 की उप-धारा (1) तथा धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-9/2007/23/वियो, दिनांक 8 नवम्बर 2007 के अतिरिक्त, सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर, क्रमशः कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार, सहायक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार, संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार, सहायक मुख्य रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होगी.

सारणी

स. क्र. (1)	अधिकारी (2)	पद (3)	अधिकारिता (4)
1.	संभागीय आयुक्त	संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	उनके राजस्व संभाग के भीतर
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सहायक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	उनके राजस्व जिले के भीतर
3.	संयुक्त संचालक, (जीवनांक) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
4.	सहायक संचालक, (जीवनांक) आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय	सहायक मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
5.	राज्य के 30 या इससे अधिक बिस्तर वाले समस्त शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी.	रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये उनके अधीनस्थ चिकित्सालय.

No. F 4-4/2011/23.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4, sub-section (1) of Section 6 and sub-section (1) of Section 7 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969) and in addition to this Department's Notification No. 4-9/2007/23/F & P dated 8th November 2007, the State Government hereby appoints the following officers as specified in the column No. (2) as Divisional Chief Registrar, Assistant Additional Chief Registrar, Joint Chief Registrar, Assistant Chief Registrar and Registrar respectively as specified in the column No. (3) within the jurisdiction as specified in the column No. (4) of the Table given below to strengthen the Civil Registration System. These appointments will take effect from the issuing date of this Notification.

TABLE

S. No. (1)	Officer (2)	Post (3)	Jurisdiction (4)
1.	Divisional Commissioner	Divisional Chief Registrar (Births and Deaths)	Within their Revenue Division.
2.	Chief Executive Officer District Panchayat.	Assistant Additional Chief Registrar (Births and Deaths)	Within their Revenue District
3.	Joint Director (vital) Directorate of Economics and Statistics.	Joint Chief Registrar (Births and Deaths)	Whole State of Chhattisgarh
4.	Assistant Director (vital) Directorate of Economics and Statistics.	Assistant Chief Registrar (Births and Deaths)	Whole State of Chhattisgarh
5.	Officers in charge of all Government Hospitals in the state having 30 or more beds.	Registrar (Births and Deaths)	Within their Hospital, for institutional Births, Deaths and still Births.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4-4/2011/23.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका तथा ग्राम कोटवारों को उनके कार्यक्षेत्र की सीमा के भीतर घर में हुए जन्म और मृत्यु की घटनाओं के पंजीकरण के लिये, आगामी आदेश तक सूचनादाता नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होंगी.

No. F 4-4/2011/23.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 8 of the Registration of Births and Deaths Act, 1960 (No. 18 of 1969), the State Government, heerby appoints the Anganbadi Workers, Anganbadi Assistants and Gram Kotwars of Rural area as notifier till the next order, within the limits of their working area for the registration of births and deaths occurred in home. These appointments will take effect from the issuing date of this Notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-4/2009/11/(6).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है.

अतः एतद्द्वारा "औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-4 की कंडिका 8 (1) ख एवं टीप " में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात :—

संशोधन

औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-4 की कंडिका 8- औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू-आवंटन सेवा शुल्क की उप कंडिका (1) ख एवं टीप :— उल्लेखित शब्द 20%, को पुनरीक्षित करते हुये 10% किया जाता है.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3224 को दिनांक 23-06-2011 से दिनांक 30-11-2011 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर को सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जायेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.